उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सात वर्ष के कार्यकाल में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश फ्रेंडली नीतियों की वजह से यहां निवेश का बेहतरीन माहौल बना है। यही कारण है कि नामीगिरामी कंपनियां कहीं और जाने के बजाय अब उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 14 हजार से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। नयी नीतियां लाने के साथ ही पुरानी नीतियों में बड़े सुधार कर उद्यमियों के लिए निवेश अनुकूल माहौल बनाया गया है। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए 25 से ज्यादा सेक्टोरल पालिसी लागू की गई हैं। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में विभिन्न प्रकार के नए-नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। सरकार एमएसएमई इकाईयों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मुहैया करा रही है। प्रदेश में लगने वाली मेगा परियोजनाओं के लिए 15 दिन में भूमि आवंटन का कार्य संपन्न किया जा रहा है। इससे सात वर्षों में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदली है। नया उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के संग विकास की नई पटकथा लिख रहा है। प्रदेश में भारी निवेश के साथ ही रोजगार के अपार अवसर मिल रहे हैं। इससे युवाओं का भविष्य संवर रहा है।

25 दमदार नीतियों से संवर गयी यूपी की तस्वीर

उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति

इस नीति के तहत प्रदेश सरकार निवेश करने वाले प्राइवेट डेवलपर्स को अलग-अलग तरह की छूट दे रही है। सरकार विकासकर्ताओं को सबसे बड़ी सहायता भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में दे रही है।

- 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाले नगरों में टाउनशिप बनाने पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 25 प्रतिशत, जबकि 5 लाख से कम आबादी वाले नगरों में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
- इस नीति के तहत टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ से कम होने पर अकृषक उपयोग में से अनुमति प्रदान की जा रही है।

- टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ से ज्यादा होने पर कृषि उपयोग के लिए की अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए शिलान्यास आयोजन में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करने का प्रावधान भी है।

सेमी कंडक्टर नीति

गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु के बाद यह नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा प्रदेश बना है। इस नीति में बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

- सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने वाले उद्योग समूहों को बड़ा सहारा दी ओर से 80 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार इसमें 75 प्रतिशत की सब्सिडी देगी।
- इस नीति में उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था है तथा इसमें जनवरी सब्सिडी के रूप में 209 एकड़ तक 75 परिसंपत्ति की सब्सिडी दी जा रही है।

- अब तक 13 कंपनियों ने प्रदेश में सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। राष्ट्रीय स्तर पर फोटो लगाने पर 10 लाख रुपये तथा आयोजन स्तर पर फोटो लगाने के लिए बाजा कारखाने 20 लाख रुपये प्रदान करेगी।

एफडीआई प्रोत्साहन नीति

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाने और एसएमई-सह सहयोगियों के अधिकतम निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने यह नीति लागू की है। नीति में परियोजनाओं के लिए औद्योगिक विकास इकाइयों की स्थापना आवंटन पत्रों में निबंधन पत्रों तुए भूमि आवंटन की लागतों इसके अलावा परियोजनाओं को सभी एमएसएमई की शत-प्रतिशत स्थायी की जाएगी, जो (भूमि की लागत को छोड़ कर) कुल पूंजी निवेश (ईपीआई) को अधिकतम सीमा के बराबर होगी।

- राज्य शुल्क एवं स्टांप शुल्क में भी छोटा छूट दी जा रही है। इसके अलावा किसी अन्य में पांच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- इसके परिणाम के लिए राज्य सरकार अधिकतम 500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने पर पांच वर्ष तक प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पांच हजार रुपये तक का खर्च भी उठाएगी।

स्टार्टअप नीति

इस नीति के तहत योगी सरकार स्टार्टअप इंडिया से उत्पन्न बनाने पर 5 लाख रुपये और कारोबार में उतरने पर 7.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। स्टार्टअप को एक साल के लिए 17,500 रुपये मासिक स्थायीकरण भत्ता भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है।

- नीति में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य तीन से बढ़ाकर 10 किया गया है। इसके अलावा, व्यावसायिक उत्पादों को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीति में नए क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, जैसे मशीनरी के नेतृत्व वाले स्टार्टअप, खाद्य स्टार्टअप के साथ-साथ मशीनरी अनुसंधान, अक्षय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और व्यावसायिक स्टार्टअप आदि।

पर्यटन नीति

अपने कुल काम में प्रदेश को इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में धार्मिक, सांस्कृतिक और अध्यात्मिक पर्यटन एक बड़ा माध्यम साबित होगा। इसको देखते हुए सरकार ने राज्य की पर्यटन नीति में होटल इंडस्ट्री के लिए निवेश आकर्षित करिसी की व्यवस्था की है। 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 45 करोड़ रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा तथा रानी, जिलाधी कमिश्नर, डीजीपी टैक्स की दरों में व्यवहारिक की जगह अधिमान होगी।

- पर्यटन नीति के अंतर्गत मनोरंजन राज्य में जुड़े सभी स्थानों को राजस्व सर्किट, धनवान कुम्भ से जुड़े धार्मिक स्थानों को कुम्भ सर्किट के तौर पर चिह्नित किया जा रहा है। नई नीति में महाकाल सर्किट और सर्किट पीठ सर्किट को भी व्यवस्था की गई है, जिसमें शक्तिपीठ, वाराणसी, कानपुर, मथुरा, कौशांबी, गोंडा, लखनपुर जैसे स्थानों को शुरू गया है।

उत्तर प्रदेश फिल्म नीति

2023 में बनी उत्तर प्रदेश फिल्म नीति के तहत प्रदेश सरकार राज्य में फिल्मों की शूटिंग के साथ फिल्म में राज्य के कलाकारों को शिखर पर लाने का मौका देने का कोशिश दी रही है। वहीं एक फिल्म निर्माण के लिए हुआ शूटिंग दिवस के दो गिरते दिवस उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। पूरी फिल्म के हमने ही दिनों की शूटिंग के काम भारत पूरे करने पर 2.20 करोड़ रुपये जबकि तीसरी किस्त की शूटिंग पर 2.30 करोड़ रुपये की सब्सिडी सरकार दे रही है।

- काशी में फिल्म प्रोडक्शन संचालन को स्थापना करने पर भी 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। नोएडा में फिल्मसिटी बनाने के लक्ष्य से 12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
- आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को प्रदेश भ्रमण के दौरान छात्रा व छात्राओं में डाकरे के किराए में भी 25 फीसदी छूट का निर्णय किया गया है।

उत्तर प्रदेश खेल नीति

इस नीति के तहत सरकार ने राज्य खेल प्रशिक्षणों की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया है। यह राज्य में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद पर काम करेगा। राज्य में खेलों के लिए 10 करोड़ रुपये की एक 'राज्य खेल विकास कोष' भी बनाया जाएगा, जिससे बाकी के खेल खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। एकलव्य क्रीड़ा कोष योजना के तहत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल विषय से संबंधित आवश्यक उपकरण के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये अनुदान देने की भी व्यवस्था है।

- जिलों आकांक्षियों और महान कोचेज को खेलों से जोड़ा जा रहा है। राज्य में खेलों के तहत अलग-अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किये जा रहे हैं तथा राज्य में पांच हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित करने का कार्य भी शुरू हो गया है।

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति

इस नीति से तहत निवेशकों को कई तरह की सब्सिडी जैसे ब्याज सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी और प्रोत्साहन सब्सिडी दी जा रही है। यही नहीं, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की सीधे अपने उत्पाद बेचने वाली को भी सभी शुल्क और उपकर में छूट दी जा रही है।

- सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम पांच करोड़ का अनुदान दे रही है। हॉर्टीकल्चर कोल्ड चेन और फैन्ट्र प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 12 करोड़ रुपये अनुदान दिया जा रहा है।

यूपी वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति

इस नीति के तहत सरकार लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए फास्ट ट्रैक मोड में भूमि आवंटित कर रही है। नीति में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना मुहैयाकर्ता को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

- पहली श्रेणी में मल्टीमोडल पार्क, आर्थिक कॉरिडोर लिंक, कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित अधि शामिल हैं।
- दूसरी श्रेणी में मल्टीमोडल पार्क, आर्थिक कॉरिडोर लिंक, कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित अधि शामिल हैं।
- तीसरी श्रेणी में अन्य मुख्यालय, जैसे ट्रक टर्मिनल, निजी फ्रेट टर्मिनल, निजी कंटेनर टर्मिनल व अंतर्देशीय पोत सेवा चार हैं।

सौर ऊर्जा नीति

इस नीति के अंतर्गत सरकार ने अपने काम वर्षों में 22 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए कंपनियों उद्यमियों को एक रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 साल बराबर 4 साल मुफ्त भी दी जा रही है।

- निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना के लिए 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर जमीन दी जा रही है। निजी भाइयों एवं हित कंपनियों सोलर निगमों की स्थापना पर रीवॉप्ट कारखाने के अलावा पूरी कारखाने को और से भी 16 रुपया कम प्रति किलोवॉट की सब्सिडी दी जा रही है। इसी के साथ सरकार अधिकार व कंपनियों को मॉडल पॉलिसी के तहत में डिस्कॉम कर रही है।

औद्योगिक विवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति

प्रदेश सरकार औद्योगिक नीति के तहत बड़े निवेशकों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जैसे से जमीन उपलब्ध करा रही है। विशेष में स्थापित उद्योगों को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने पर भी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। उनके प्लांट और मशीनरी की 40 प्रतिशत लागत को परियोजना लागत में जोड़कर इसके आधार पर प्रोत्साहन देने की व्यवस्था सरकार ने की है।

- इस नीति में बैंकर उद्योगों और निवेश करने वाली इकाइयों का अधिग्रहण करने वाले निवेशकों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में महिलाओं को अधिक रोजगार देने और स्थानीय लोगों से लगभग साढ़े साढ़ियों वाली इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी पूरी सरकार दे रही है।

यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी

इस नीति के अंतर्गत सरकार जमीन खरीदने, उत्पादन लगाने, बिजली टैरिफ में छूट के साथ रोजगार सृजन तक में अनुदान दे रही है। इसके तहत सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये के निजी निवेश और 6 लाख नये रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है।

- यह पॉलिसी प्रदेश के टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने, रोजगार को बढ़ावा देने, बुनकरों एवं उनके एवं गारमेंट क्षेत्र में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करने, बुनकरों के कार्यों को व्यवसायिक में प्रतिस्पर्धा में बढ़ा रहा है।
- राज्य का वैश्विक सरकार एवं उत्तरी उद्यमियों के मुख्य कारोबार आज शहरों में मात्र छूटों में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वहीं पहर एवं मशीनरी की खरीद पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

कृषि निर्यात नीति

किसानों के हित में कृषि उत्पादों के निर्यात को सरल व सुगम बनाने के लिए कृषि निर्यात नीति में कई प्रावधान किये गए हैं। इस नीति के तहत सरकार ने निर्यात सरलतर योजना के तहत किसानों की सुविधा के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य 20 हेक्टेयर तक कर दी है।

- इस पूरे नीति में आज-काल किसानों को 10 हेक्टेयर जमीन होने पर भी लाभार्थ बनाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना है।

डेयरी विकास नीति

इस नीति के तहत प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता की इकाई लगाने पर विभिन्न गायों में 5 करोड़ तक की सब्सिडी और पांच वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए ब्याज का अनुदान दिया जा रहा है। इसके मुख और इस पर अधिकतम उत्पादों को उत्पादकता को बढ़ाया जा सकेगा। अगले पांच वर्षों में 5 हजार करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

- प्रदेश में अभी कुल मशीनीकृत डेयरी एक 10 फीसदी ही प्रसंस्करित की जाती है। ऐसे में इसकी क्षमता बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक की जाएगी और उत्पादन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 44 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत तक किया जाएगा।

कुक्कुट विकास नीति

इस नीति के तहत सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में पूरी को अंडा उत्पादन में अग्रणीय बनाने का है। इसके साथ निर्यात की संभावनाओं को भी बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि इस नीति के प्रभावी होने से अगले पांच सालों में करीब 1609 करोड़ रुपये का निवेश होगा और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1.25 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

- इस नीति के तहत प्रदेश में 780 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार मुर्गी पालन करने पर किसानों को कोटी की जमीन की लगत छूटों में 100 फीसदी तक छूट दे रही है। बड़ी पशुधन विकास योजनों के बिल की 18 वर्षों तक प्रतिपूर्ति करेगा।

विमान अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहालिंग नीति

नागर विमानन क्षेत्र में निवेश हो रहे विकास एवं प्रसार के दृष्टिगत प्रदेश में मेंटेनेंस रिपेयरिंग एवं ओवरहालिंग (एमआरओ) एक की स्थापना की जा रही है। विमानों की मरम्मत अभी देश के बाहर सिंगापुर व दुबई में होती है। इसमें पैसा व समय दोनों काफी अधिक लगता है। इसके अलावा छोटी-मोटी मरम्मत के लिए हैदराबाद व बेंगलुरु विमान में उड़ने रहते हैं।

- इस नीति के तहत अब ये काम यूपी में ही होंगे। एमआरओ की स्थापना से सरकार को राजस्व मिलने के साथ ही बड़ी संख्या रोजगार सृजित होंगे।

रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति

इस नीति के तहत अब सरकार प्रदेश में निवेश करने पर यह क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को अधिकतम 600 करोड़ रुपये तक पूंजी अनुदान दे रही है। इसके साथ पूर्वी के अन्य क्षेत्रों में सात प्रतिशत, जबकि बुंदेलखंड में 10 प्रतिशत व अधिकतम 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

- निवेश परियोजना को पूरा करने के लिए सेल और रोजगार मेलों की इकाइयों को साल में तक सब्सिडी मिलेगा। नीति के तहत 13 क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने का प्रावधान है।
- इसके अलावा रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के कोने जिसमें कॉरिडोर में 50-50 सुविधा स्थापित की जानी है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा यहां सहायता के तौर पर भूमि एवं अवसंरचना वित्तीय सहायता प्रदान करने की शर्तों और स्थानीय व्यवस्था की गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण

इस नीति में उपभोक्ताओं, निर्माताओं तथा पार्टियों व बैट्री मोबिलिटी सेवा प्रदाताओं के हितों का ध्यान रखा गया है। नीति के तहत हर जिले में कम-से-कम 20 पब्लिक चार्जिंग व पांच स्टेशन स्थापित करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए ऐसे निवेश कर्मियों तथा बैट्री व स्थानीय उत्पादन निर्माताओं के साथ उपभोक्ताओं के लिए नई नीति में 600 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस नीति के जरिये 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है।
- इसमें एक साथ दोनों को मोटाकर उपलब्ध हो सकेगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति

नई नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाली नई एमएसएमई इकाइयों को पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में सब्सिडी की यह सीमा 15-25 प्रतिशत तक और मध्यांचल व पश्चिमांचल में 10-20 प्रतिशत तक है।

- सरकार ने एमएसएमई और महिला उद्यमियों के लिए तो प्रतिशत अधिक छूट का प्रावधान भी किया है। निवेश पर 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी और लिए गए ऋण पर 50 प्रतिशत तक ब्याज में छूट का प्रावधान भी है।

- प्रदेश में 10 साल में अधिक से एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट सरकार उपलब्ध करा रही है।

डाटा सेंटर नीति

इस नीति के तहत डाटा सेंटर पार्क और इकाइयों को पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, जमीन सब्सिडी/लीज पर लेने पर स्टांप ड्यूटी में पूरी मात्रा छूट दे रही है। ऐसे पार्क व इकाइयों को बिजली में सब्सिडी सिंगल प्रोसेसरों के आधार कर्ता तथा के गैर-सिंगल प्रोसेसरों में दिए जा रहे हैं।

- उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर पार्क व 10 डाटा सेंटर इकाइयों की स्थापना में लगभग बड़ा हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 15 से 25 हजार लोगों को आप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे प्रदेश डाटा सेंटरों में आत्मनिर्भर बन जायेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर नीति ने संशोधन करते हुए डेवेलपर और इकाइयों सहित सभी श्रेणियों में वृद्धि की है। सॉफ्टवेयर इकाइयों को बिजली दरों में छूट का प्रोत्साहन भी दिया गया है।

- नीति के तहत 1,000 करोड़ रुपये के निवेश तक लगेट 10 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। वहीं प्रदेश के लक्ष्य में साथ करने वाले तथा सूक्ष्म इकाइयों को साथ लाने की नहरी को बने निवेशकों तथा कर्मचारी वर्गों के साथ आयोग करने वाले निवेशकों को आकर्षित करिसी सुविधा करने का प्रदेश सरकार ने प्रावधान दिया है।

मेडिकल डिवाइस उद्योग नीति

इस नीति के तहत कानपुर क्षेत्र के उद्यमियों को विशेष किसी किसान उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उन्हें परेशानी न हो।

- निवेशकों को 10 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट, जमीन की मूल्य रोजगारी पर भी प्रावधान सरकार ने किया है। जमीन खरीदने के लिए लोन पर 50 परिसंपत्ति ब्याज अनुदान तथा व्यापार, बिजली, पानी के लिए बाहर पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- बड़ाओं से फोटो उत्पादों का खाई, आईएसओ, बैंकर्स सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए भी मदद के साथ ही अनुदानों के लिए 50 लाख रुपये भी सरकार करा रही है।

आबकारी नीति

सरकारी खजाने को भरने में सहायक रही विदेशी से मिलने वाले रोजगार एक बड़ा किस्सा होता है। इसलिए नई एमएसएमई नीति में अब बीयर की दुकानों को मॉडल शॉप में बदलने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नीति में पबों में बनने वाली शराब को भी शामिल किया गया है। इसमें अंगूर से बनने में वाली शराब, बीयर में बनने वाली वोदी और नशाबंदी में बनने वाली वैसे उत्पाद को भी शामिल कर लिया गया है।

- शराब से बनने वाले उत्पाद के लिए मुख्यालयों और मेरठ में दो प्लांट बनाए जा रहे हैं। इसके कारोबारी इस विभागों में जुड़ेंगे। इसके उत्पाद की नई वैराइटी भी आएगी। राज्य की पुरातन एक दिनों भी लाख तो कारोबार उगाने में पहले डिस्टिलर कॉमर्शियल में इजाजत लेने का प्रावधान दिया गया है।

जैव-ऊर्जा नीति

इस नीति का उद्देश्य पूरी अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पाद बाजार अर्थव्यवस्था, पशुधन अर्थव्यवस्था, पौधों जैसे अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था और बायोमास में उपलब्ध अन्य जैविक अपशिष्ट से जैव-ईंधन उत्पन्न करना है।

- इसके लिए प्रदेश सरकार जैव कार्बन इकाई को भूमि प्राप्त पर बड़ा शुल्क में एक प्रतिशत छूट के साथ उत्पादन प्रारम्भ होने की दिनों से एक वर्ष तक एमएसएमई वर्ग 25 प्रतिशत प्रोत्साहित कर रही है।
- प्रदेशभर जाकीरीय उत्पादन एवं 20 लाख रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी, बायो-सीएनजी उत्पादन का सब्सिडी 35,000 रुपये प्रति टन और बायोगैस के उत्पादन पर 3 लाख रुपये प्रति किलोवॉट सब्सिडी सरकार दे रही है।

उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पालिसी

इस नीति का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ राज्य में निर्यात में वृद्धि के लिए सहायकारी वातावरण की सहायता एवं विकास, उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों की तलाश करना और निर्यात क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना है। निर्यात नीति इस प्रदेश 2020-25 के कार्यकाल में इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि एवं प्रसंस्कृत माल उत्पाद, इंजीनियरिंग सूचना एवं टेक्नोलॉजी, वस्त्र उत्पाद, हाथीदांत एवं कॉयर, मसाला एवं विशिष्ट उत्पाद, वाशिंग उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और फुटवेयर, आईटी एवं आईटीईएस, कॉस्मेटिक केमिकल एवं सौंदर्यप्रसाधन है।